

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं०.....

725/13-14

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक ..... को ग्राम हल्का कचहरी में आयोजित कैम्प में

श्री मनीश्वरी देवी एवं स्व. सत्यनारायण मल्ल के श्री अकेश रौशन अर्जु सिंघु को

श्री रामराज अर्जु राजन बल्द स्व. सत्यनारायण मल्ल

ग्राम रुपहीमंडी थाना आल्मगंज जिला पटना

बसीका नं० ..... दिनांक 07/09/12 के द्वारा निर्माकित जमीन का

दाखिल खरिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवक्षण

मांजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>रुपहीमंडी</u>	<u>16</u>	<u>209</u>	<u>206</u>	<u>50-50</u>	<u>2-20</u>
		<u>11</u>	<u>207</u>	<u>0-13</u>	
		<u>4</u>	<u>208</u>		

07/06/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज ..... किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति MS

अंचलाधिकारी, पटना सदर

प्रमाणित प्रतिलिपि विभागा  
विराट नं०.....

MS  
अंचलाधिकारी, पटना सदर